न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क्र0 1662–एक/2009 विरूध्द आदेश दिनांक 06–10–09 पारित अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 148/05–06 अपील.

सूरतसिंह आत्मज शिवनाथ सिंह
निवासी ग्राम इटारसी, तह0 नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर, म0प्र0 ---- आवेदक

विरूध्द

1– श्रीमती अनारबाई पत्नी स्व. दिलीपसिंह (मृत)
2– जगदीश सिंह उर्फ विपतसिंह आत्मज दिलीपसिंह
दोनों निवासी ग्राम इटारसी, तह0 नसरूल्लागंज,
जिला सीहोर, म0प्र0 ---- अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक – आवेदक
श्री धीरेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 18 – 09 –,2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के अपील प्रकरण क्रमांक 148/05–06 में पारित आदेश दिनांक 06–10–09 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण श्रीमती अनारबाई एवं जगदीश सिंह व्दारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम इटारसी स्थित भूमि ख0नं0 62/2, 149 तथा 150/1/1 है जिस पर अनावेदकगण अपनी भूमि में जाने के लिये शासकीय रास्ते से होकर अनावेदक/आवेदक सूरतसिंह की भूमि की गेढ से होकर अपनी भूमि में जाते हैं जिसे रंजिशवश अनावेदक सूरतसिंह

ने रोक दिया है जिससे बैल, बखर आदि लाने ले–जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। अतः उन्होंने सूरतसिंह की भूमि की गेड़ से रास्ता दिलवाये जाने का अनुरोध किया। प्रकरण में साक्ष्य प्रति–साक्ष्य एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के बाद तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 09–09–05 में यह निष्कर्ष निकाला कि जिस भूमि खसरा नं0 149–150/1/1 में से रास्ते की मॉग की गयी है उस पर पूर्व के रास्ते के निशान होना नहीं पाये गये एवं अनावेदकगण को अपने खेत में जाने के लिये दो रास्ते उपलब्ध हैं। एक रास्ता सीगॉव हेकर गेढ़ पर से जाता है और दूसरा रास्ता ससली होकर मेढ़ पर से जाता है। अतः तहसीलदार ने अनावेदकगण का आवेदनपत्र खारिज किया।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28–11–05 में यह निष्कर्ष निकाला है कि उभय पक्ष एक–ही कुटुम्ब से ताल्लुक रखते हैं तथा पूर्व में एक–ही भूमि थी जिसका समयान्तर में आपसी बटवारा हो चुका है। मुख्य रास्ते से एक पक्ष की भूमि से होते हुए अन्य पक्ष की भूमि में आना जाना किया करते थे जो तहसीलदार के आदेश दिनांक तक खुला रहा। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण/अनावेदकगण का रास्ता यथावत खुला रखे जाने के आदेश दिये जिसमें सिर्फ आवागमन ही किया जा सकेगा। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा प्रस्तुत की गयी व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 06–10–09 व्दारा खारिज की। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। अनावेदक क0–1 अनारबाई की मृत्यु हो जाने व उसके विधिक उत्तराधिकारी अनावेदक क0–2 जगदीश सिंह उर्फ विपतसिंह पूर्व से अभिलेख पर विद्यमान होने से अनावेदक क0–1 के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित करने हेतु आवेदनपत्र व्य.प्र.सं. के आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। इस आवेदनपत्र पर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात

आदेश दिनांक 31—7—14 व्दारा अनावेदक क्र0—1 का नाम अभिलेख से कम किये जाने के आदेश दिये गये।

5/ प्रकरण में उभय पक्ष के अभिभाषकों को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। आवेदक के अभिभाषक व्दारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु अनावेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, इसलिये प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाता है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि धारा 131 के अन्तर्गत रूढ़िगत रास्ता व पक्षकारों की सम्यक सुविधा देखी जाना चाहिये। स्थल निरीक्षण में रास्ते के निशान नहीं पाये गये जिससे स्पष्ट है कि कोई रूढ़िगत रास्ता विद्यमान नहीं है। अनावेदकगण की भूमि पर आने जाने के लिये 2 वैकल्पिक रास्ते होते हुए भी आवेदक की भूमि की मेढ़ से यदि अनावेदकगण को रास्ता दिया जाता है तो निश्चित तौर पर आवेदक को असुविधा होगी और मेढ़ से आने—जाने से उसका कृषि कार्य प्रभावित होगा। उनका तर्क है कि विधिक प्रश्न भावनाओं के आधार पर निराकृत नहीं किये जाने चाहिये। अतः उन्होंने अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त कर विचारण तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

7/ संहिता की धारा 131(1) में यह प्रावधान है कि —

"131(1) इस बारे में कि कोई खेतिहर अपने खेतों पर या ग्राम की बन्जर भूमि या चारागाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों या सार्वजनिक भूमि पर से, जिसके अन्तर्गत वे सड़के तथा पथ हैं जो धारा 242 के अधीन तैयार किये गये ग्राम के बाजिबुउल—अर्ज में अभिलिखित हैं, न होकर अन्यथा किसी मार्ग व्दारा पहुँचेगा या इस बारे में वह किस श्रोत से या किस जलसरणी से अपने लिये जल प्राप्त कर सकेगा, कोई विवाद उदभूत होने की दशा में तहसीलदार स्थानीय जॉच करने के पश्चात उस मामले को, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा को सम्यक ध्यान रखते हुए निश्चित कर सकेगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि स्थानीय जॉच के पश्चात तहसीलदार पूर्व रूढ़ि तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आदेश पारित करेगा। इस प्रकरण में नायब तहसीलदार व्दारा उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर टीप, पंचनामा एवं नजरी नक्शा बनाया गया है जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 41 से 46 पर उपलब्ध है। स्थल निरीक्षण टीप में जिस भूमि खसरा नं0 149–150/1/1 में से रास्ते की मॉग की है वह सूरतसिंह के स्वामित्व की होना एवं इस भूमि पर पूर्व के रास्ते के निशान नहीं पाये जाना अंकित है। स्थल निरीक्षण टीप में यह भी अंकित है कि आवेदक/अनावेदक को अपने खेत में जाने के लिये दो रास्ते उपलब्ध है. एक रास्ता सीगॉव होकर मेढ पर से जाता है और दूसरा ससली होकर मेढ़ पर से जाता है। ऐसी दशा में जब अनावेदक को अपने खेत पर जाने के लिये 2 वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं और चाहा गया रास्ता रूढ़िगत रास्ता होना प्रमाणित नहीं है, तब अपीलीय न्यायालयों व्दारा उभय पक्ष एक–ही कुटुम्ब से ताल्लुक रखने तथा भूमि का आपसी बटवारा होने से आवेदक के स्वामित्व की भूमि की मेढ़ से आवागमन का रास्ता देने में त्रुटि की गयी है। संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत रूढ़िगत मार्ग सिध्द होने पर ही पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखकर आदेश पारित किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालयों ने रूढ़िगत रास्ता प्रमाणित नहीं होने पर भी आवेदक के स्वामित्व की भूमि से आवागमन का रास्ता दिया है और आवेदक की सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा है, इसलिये अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 06–10–09 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–11–05 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 09–09–05 यथावत रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,